कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय

ब्लॉक –3 द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

Email- slqaccg@gmail.com, Website – highereducation.cg.gov.in

क्र. 551/187/आउशि /गु.प्र./2024 नवा रायपुर, दिनांक : 27/06/2024

प्रति,

1. **कुलसचिव,**
   समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़
2. **प्राचार्य**
   समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय, छत्तीसगढ

विषयः– राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक निर्देश।

संदर्भः– 1. कार्यालयीन पत्र क्रमांक 527/187/आउशि/गु.प्र./2024 दिनांक 07.06.2024

2. उच्च शिक्षा विभाग छ.ग. शासन का आदेश क्रमांक एफ 17–83/2018/38–2 नवा रायपुर दिनांक 26.06.2024

——00——

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024–25 से लागू किये जाने वाले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में आवश्यक निर्देश प्रेषित किये गये है। उक्त पत्र के अनुक्रम में निर्देश निम्नानुसार हैः–

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अंतर्गत निर्मित करिकुलम स्वशासी महाविद्यालयों में भी सत्र 2024–25 से स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में लागू होंगे।
2. जेनेरिक इलेक्टिव, वैल्यू एडेड कोर्स एवं स्किल एन्हांसमेन्ट कोर्स का चयन विद्यार्थी द्वारा प्रवेशित महाविद्यालय में "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्रियान्वयन प्रकोष्ठ" के निर्देशानुसार किया जायेगा, जिस हेतु संदर्भित आदेश क्रमांक–2 में दिनांक 06.08.2024 तक की समयावधि निर्धारित की गई है।
3. एबिलिटी एन्हांसमेंट कोर्स के संबंध में संदर्भित पत्र क्रमांक–1 द्वारा संकायवार संचालन हेतु निम्नानुसार सूचित किया जा चुका हैः–

पाठ्यक्रम (प्रोग्राम)	प्रथम सेमेस्टर में AEC का चयन
बी.कॉम एवं बी.बी.ए.	पर्यावरण अध्ययन
बी.एस.सी. एवं बी.सी.ए.	अंग्रेजी भाषा
बी.ए. एवं बी.एस.सी.(गृह विज्ञान)	हिन्दी भाषा

4. सभी महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हेल्प डेस्क तत्काल बनाकर "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्रियान्वयन प्रकोष्ठ" के सदस्यों का दायित्व निर्धारित करें।
5. महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषताऐं, लाभ एवं प्रावधानों के फ्लेक्स तैयार करते हेतु विषय वस्तु पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है। तद्नुसार महाविद्यालय में फलेक्स बनाकर लगाना सुनिश्चित करें।
6. सभी विश्वविद्यालयों एंव महाविद्यालयों के वेबसाइड में **NEP TAB** बनाकर उसके अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित जानकारियों को प्राथमिकता के आधार पर अपलोड कर विद्यार्थियों को सूचित करें।
7. उच्च शिक्षा विभाग के सोशल मीडिया पेज यथा एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक एवं यूटयूब चैनल को फॉलो/सब्सक्राइब करने हेतु विद्यार्थियों एवं स्टाफ को सूचित करें एवं इनके लिंक को भी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के वेबसाइट में पोस्ट करें। (क्यूआर कोड महाविद्यालय के सूचना पटल पर चस्पा किये जाने हेतु एवं वेबसाइड में अपलोड करने हेतु संलग्न)
8. उच्च शिक्षा विभाग के वेबसाइड का (विशेषकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 **TAB**) प्रतिदिन अवलोकन सुनिश्चित करें ताकि आवश्यक सूचना/गतिविधियॉ/**FAQ** आदि से तत्कालिक अवगत रहे।
9. समय–समय पर विभाग द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

27/6

(श्रीमती शारदा वर्मा)
आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्र. 552/187/आउशि /गु.प्र./2024 नवा रायपुर, दिनांक : 27/06/2024

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ0ग0 शासन को सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक .... संभाग को सूचनार्थ
3. टास्क फोर्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर को सूचनार्थ

27/6

आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्यों?

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का भाव लिए गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, विषय संबंधित ज्ञान के साथ कौशल विकास, मूल्यपरक तथा रोजगारोन्मुखी शिक्षा की ओर उन्मुख करती है|
- इस नीति में सतत मूल्यांकन का प्रावधान है जिससे विद्यार्थियों के मानसिक उर्जा के साथ बौद्धिक क्षमता में भी वृद्धि होगी|
- सेमेस्टर आधारित पाठ्यक्रम होने के कारण विद्यार्थियों को परीक्षा का तनाव नहीं होगा|
- बहु-विषयक प्रणाली पर आधारित यह नीति विद्यार्थियों को उनकी इच्छानुसार दूसरे संकाय के विषयों का अध्ययन करने की स्वतंत्रता देती है|
- पाठ्यचर्या में भारतीय ज्ञान पद्धति के समावेश के साथ पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है|
- प्रोद्योगिकी के अनुकूलतम उपयोग पर बल दिया गया है|

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य प्रावधान:

- 03/04 वर्षीय बहु-संकायी स्नातक पाठ्यक्रम
- समस्त पाठ्यक्रम क्रेडिट पर आधारित होने के साथ ही चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अंतर्गत होंगे|
- 03/04 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को विद्यार्थी अधिकतम 07 वर्षो में पूर्ण कर सकता है|
- पाठ्यक्रम अवधि में विद्यार्थी "बहु-प्रवेश बहु-निकास" प्रावधान के अंतर्गत प्रथम वर्ष पूर्ण कर किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे उस संकाय के अंतर्गत 'सर्टिफिकेट' दो वर्ष पूर्ण कर छोड़ने पर 'डिप्लोमा' की उपाधि दी जाएगी एवं तृतीय वर्ष पूर्ण करने पर 'स्नातक' की उपाधि प्राप्त कर पाठ्यक्रम को छोड़ सकता है|
- जिन विद्यार्थियों को विषय विशेष में विशेषज्ञता प्राप्त करने या शोध करने की इच्छा हो वे पाठ्यक्रम को निरंतर चौथे वर्ष में जारी रख सकते हैं एवं 'आनर्स/आनर्स विथ रिसर्च' की उपाधि चौथे वर्ष में प्राप्त कर सकते हैं|
- इस नीति के अंतर्गत बहु-विषयक शिक्षा, वैचारिक समझ एवं आलोचनात्मक सोच, नैतिक मूल्यों के साथ कौशल विकास को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है|
- सतत आंतरिक मूल्यांकन में 30% अंक एवं अंत सेमेस्टर परीक्षा में 70% अंकों का प्रावधान रखा गया है| विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने हेतु इन दोनों को मिलाकर (आंतरिक एवं अंत सेमेस्टर परीक्षा) कुल 40% प्राप्त करना अनिवार्य होगा|
- जेनेरिक एलेक्टिव के अंतर्गत कला/विज्ञान/वाणिज्य संकाय का विद्यार्थी अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय के किसी एक विषय को अपनी इच्छानुसार ले सकता है|
- विद्यार्थी शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफार्म यथा SWAYAM/MOOC में उपलब्ध पाठ्यक्रमों से भी विषय से संबंधित पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर सकता है|
- स्वाध्यायी छात्रों का समयबद्ध नामांकन और सतत मूल्यांकन द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना |

<u>पूर्व की शिक्षा नीति एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अंतर:</u>

शिक्षा नीति 1986	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
03 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम	03/04 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम
वार्षिक प्रणाली	सेमेस्टर प्रणाली
क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम नहीं था	क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम एवं अन्य संकाय के विषय चुनने की स्वतंत्रता
आतंरिक मूल्यांकन की व्यवस्था नहीं थी	आतंरिक मूल्यांकन में 30% एवं अंत सेमेस्टर में 70% अंकों का प्रावधान
आनर्स पाठ्यक्रम नहीं था	आनर्स/आनर्स विथ रिसर्च पाठ्यक्रम चौथे वर्ष के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध होगा|
इंटर्नशिप एवं एंट्रेप्रेन्यूरशिप की व्यवस्था नहीं थी	इंटर्नशिप एवं एंट्रेप्रेन्यूरशिप को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है|
स्नातक पाठ्यक्रम के मध्य में पढ़ाई छोड़ने पर कोई भी उपाधि नहीं मिलती थी	प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष के पश्चात पढ़ाई छोड़ने पर क्रमशः सर्टिफिकेट/डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त होगी|

<u>राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लाभ:</u>

- विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास |
- मूल्य परक, कौशल विकास, क्षमता संवर्धन के साथ जेनेरिक इलेक्टिव विषय के अध्ययन से स्वरोजगार के अवसर में वृद्धि|
- विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच, डिजिटल साक्षरता के साथ रोज़गार क्षमता एवं शारीरिक विकास को बढ़ावा देते हुए भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करता है|
- पूरे प्रदेश में समरूप शिक्षा होने से वनांचल एवं दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा में जोड़ना|

****

उच्च शिक्षा विभाग ,छत्तीसगढ़

Follow us on Social Media

सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करें

YouTube

X (Twitter)

Facebook

Instagram

ईमेल - highereducg@gmail.com

Higher Education Department, Chhattisgarh